न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या– 101/2017–18

–: आदेश :–

अनुसूची 14–फारम संख्या–560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
9/2/18	अभिलेख उपस्थापित। विक्रेता बिरू रजक, पिता– स्व0 हराधन रजक, जाति–धोबी, ग्राम–कुसमा, थाना–चास(मु0), अंचल–चास, जिला–बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा–कुसमा, थाना नं0–97 के खाता संख्या–18/54, प्लॉट नं0–946, रकवा 0.30 एकड़ भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 400/भू0सु0, दिनांक 31.07.2017 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 279 दिनांक 08.02.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है:– 1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान भीखू सिंह के नाम से दर्ज है। 2. विक्रेता एवं क्रेता दोनों ग्राम–कुसमा, थाना–चास(मु0), जिला–बोकारो के मूल निवासी है। 3. क्रेता एवं विक्रेता दोनों जाति के धोबी हैं, जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते है। 4. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् विक्रेता के पास 1.70 एकड़ भूमि शेष बचता है, एवं विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 5. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को केवाला द्वारा प्राप्त है, जिसपर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 6. बिक्री की जाने वाली भूमि की जमाबंदी पंजी II के थोका संख्या–1274 में आवेदक की माता सुकरी धोबीन के नाम दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2016–17 तक निर्गत है। 7. विक्री की जाने वाली भूमि का किस्म गोड़ा तीन है। 8. अंचल अधिकारी, चास द्वारा मौजा–कुसमा, थाना नं0–97 के खाता संख्या–18/54, प्लॉट नं0–946, रकवा 0.30 एकड़ भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।	

अनुसूची 14—फारम संख्या—560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी तारी
	अनुमण्डल कार्यालय, चास द्वारा निर्गत विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0—1748778, दिनांक 29.01.2018 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0—644913 दिनांक 02.07.2017 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत विक्रेता बिरू रजक, पिता— स्व0 हराधन रजक, जाति—धोबी, ग्राम—कुसमा, थाना—चास(मु0), अंचल—चास, जिला—बोकारो को मौजा—कुसमा, थाना नं0—97 के खाता संख्या—18/54, प्लॉट नं0—946, रकवा 0.30 एकड़ भूमि को क्रेता महावीर रजक, पिता—स्व0 जगदीश रजक, जाति— धोबी, ग्राम—कुसमा, थाना—चास(मु0), जिला—बोकारो को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित 09/02/18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास। 09/02/18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.18 18:55:34 +05:30
Location: 192.168.1.42